अनुसंधानविस्तारकेन्द्र/RESEARCH EXTENSION CENTRE
[मुख्यालय: कॆरेउअप्रसं., मैसूर / H.O.: Central Sericultural Research and Training Institute, Mysore]
केन्द्रीय रे ामबोर्ड, भारतसरकार/ Central Silk Board, Govt. of India
एन.एच.७, सेरिकल्चरफार्म, कट्टपुलिनगर, समयनल्लूर–625 402,मदुरैजिला

Email : recsamay@gmail.com

NH-44 Sericulture farm, Kattapulinagar,
Samayanallur (3521)
Madurai, Tamil Nadu - 625 402

No. CSB/REC-Samay (MDU) / CPP-Vehicle / 2024-'25/ 12

दिनांक/Date: 26.04.2024

Quotation notification

Sub: Inviting quotation for hiring of vehicle -Tenkasi Mega Cluster - 2024-25 -Reg.

Sir,

This office requires one car or jeep type vehicle on monthly hire basis for undertaking field works under Tenkasi Mega Cluster for promotion of Bivoltine Sericulture under Cluster Promotion Programme during the year 2024-'25 [from the date of approval to 31.03.2025].

The terms & conditions are given in the page 2 of this letter. The quotation should be addressed to the Scientist D, Research Extension Centre, Central Silk Board, Kattapulinagar, Samayanallur PO, Madurai, Pin- 625402. Quotation should be submitted in a sealed envelope in the following format and reach to this office on or before **17.05.2024**.

Particulars	Rate
Tariff for 1500 km / month (100 hours /7 trips) inclusive of diesel, driver allowance, toll fee etc	
Rate per additional kilometer exceeding 1500 km.	

A. Mahunasaathi

वैज्ञानिक-डी / Scientist-D

Encl: यथोपरि/As *above*

Copy to : Office Notice Board; ADS., DoS., Tenkasi; ADS., DoS., Tenkasi; RDD., DoS., Madurai; CSRTI., Mysore and CSB., CO., websites

अनुसंधानविस्तारकेन्द्र/RESEARCH EXTENSION CENTRE
[मुख्यालयः कॆरेउअप्रसं., मैसूर/ H.O.: Central Sericultural Research and Training Institute, Mysore]
केन्द्रीय रे ामबोर्ड, भारतसरकार/ Central Silk Board, Govt. of India
एन.एच.७, सेरिकल्चरफार्म, कट्टपुलिनगर, समयनल्लूर–625 402,मदुरैजिला

Email : recsamay@gmail.com

NH-44 Sericulture farm, Kattapulinagar,
Samayanallur (3521)
Madurai, Tamil Nadu - 625 402

सं. कॆरेबो/अविकें-समय(एमडीयू)/सीपीपी वाहन /2024.25 / 12 दि 26 04 2024

निविदा सूचना

विषय: वर्ष 2024-25 के लिए तेंकाशी मेगा क्लस्टर के लिए वाहन किराए पर लेने हेतु निविदाएँ आमंत्रित करने के संबंध में ।

इस कार्यालय को वर्ष 2024-25 के दौरान द्विप्रज (बाइवोल्टाइन) रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तेंकाशी मेगा क्लस्टर में समूह संवर्धन कार्यक्रम (सीपीपी) के अंतर्गत क्षेत्र संबंधी कार्य करने के लिए मासिक किराया आधार पर एक कार या जीप की आवश्यकता है (अनुमोदन की तारीख से लेकर दि.31.03.2025 तक) ।

निबंधनें व शर्ते इस पत्र के दूसरे पृष्ठ पर दिए गए हैं । वैज्ञानिक डीए अनुसंधान विस्तार केंद्रए कैंद्रीय रेशम बोर्डए कट्टापुलीनगरए समयनल्लूर पीओए मदुरैए पिन- 625402 को संबोधित मुहर बंद निविदाएं निम्नलिखित प्रारूप में दि.17.05.2024 तक पहुंच जानी चाहिए ।

विवरण	दर
1500 कि.मी/महीने(100 घंटे/7 ट्रिप)के लिए डीज़लए चालक भत्ताएटॉल शोल्क	
1500 कि.मी से अधिक प्रत्येक कि.मीटर के लिए	

डॉ महिमा ज्योति
वैज्ञानिक-डी

संलग्न:यथोपरि

प्रतिलिपि प्रेषित:
सहायक निदेशकए रेशम उत्पादन विभागए तेंकाशी
आर डी डीए रेशम उत्पादन विभागएमधुरैए
कॆरेअप्रसंए मैसूरु एवं कॆरेबो की वेबसाइट

Terms & Conditions for Hiring of Vehicle

1. Hiring of vehicle is on Kilo Meter basis only.
2. Total no. of days of the vehicle required in a month - 7 days.
3. The monthly usage will be 1500 kms per month. However, the number of KM may vary and payment will be based on the number of KM used in that month.
4. If usage extends as specified above, will be charged on KM basis
5. The rate quoted shall be all inclusive of driver bata, Toll Fee, taxes etc.,
6. The hired vehicle shall not be older than 5-8 years, should have yellow board and also in good running condition.
7. In case of break down, the vehicle provider shall replace the vehicle within 24 hours at the cost of the service provider or will be adjusted on monthly rental of the vehicle.
8. The authority reserves the right to terminate the contract if the services are not satisfactory and hampers the official work.
9. The vehicle shall run from the cluster Head Quarter and movement of the vehicle restricted to only cluster area.
10. The vehicle and the driver should have valid documents such as Aadhar Card, PAN, Valid Driving License, RC Book, Emission Test Certificate, Vehicle Insurance etc.,
11. The Competent Authority will finalize on hiring of vehicle.
12. Quotation should be sent by Registered Post/Speed Post only on or before **17.05.2024 and will be opened on same day by 4.00PM**
13. The vehicle provider should have PAN number registered under CGST & SGST, TDS [Tax Deduction at Source] will be effected at the time of payment under the rule 194-c of TDS rate chart.
14. After issuing the vehicle approval for hiring, agreement will be made upto March 2025 with vehicle provider to provide the vehicle for the agreement period only. If discontinued to provide the vehicle, the penal charges to be framed against the vehicle provider @10%.
15. The undersigned reserves the right to reject in part or in full any quotation which will not comply with the terms and conditions.

A. Mahumasaetki

REC., Samayanallur,
26.04.2024

वैज्ञानिक-डी/ Scientist 'D'

<u>वाहन किराए पर लेने हेतु निबंधनें व शर्ते</u>

1. केवल किलो मीटर के आधार पर ही वाहन किराये पर लिया जाएगा ।

2. एक माह में जितने दिनों के लिए वाहन आवश्यक है - 7 दिन।

3. वाहन प्रति माह 1500 किलोमीटर चलाना होगा। तथापि, कि.मी में परिवर्तन हो सकता है और भुगतान उस महीने में चलाई गई दूरी के आधार पर होगा।

4. यदि उपयोग ऊपर बताए अनुसार बढ़ता है, तो किलोमीटर के आधार पर शुल्क दिया जाएगा

5. उद्धृत दर में ड्राइवर किराया, टोल शुल्क, कर आदि सभी शामिल होंगे।

6. किराये पर लिया गया वाहन 5-8 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, उस पर पीला बोर्ड लगा होना चाहिए और अच्छी स्थिति में होना चाहिए।

7. वाहन खराब होने की स्थिति में, वाहन प्रदाता को 24 घंटे के भीतर सेवा प्रदाता की लागत पर वाहन को बदलना होगा या वाहन के मासिक किराये पर समायोजित किया जाएगा।

8. यदि सेवाएं संतोषजनक नहीं हैं और कार्यालयीन कार्य में बाधा आती है तो प्राधिकारी को संविदा समाप्त करने का अधिकार है।

9. वाहन क्लस्टर मुख्यालय से चलाया जाना है और वाहन की आवाजाही केवल क्लस्टर क्षेत्र तक ही सीमित रहेगी।

10. वाहन और ड्राइवर के पास आधार कार्ड, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी बुक, उत्सर्जन परीक्षण प्रमाणपत्र, वाहन बीमा आदि मान्य दस्तावेज होने चाहिए।

11. वाहन किराये पर लेने के संबंध में अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी का होगा ।

12. निविदाएं केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा 17.05.2024 तक पहुंच जानी चाहिए और उसी दिन शाम सायं4.00 बजे को खोला जाएगा।

13. वाहन प्रदाता के पास सीजीएसटी व एसजीएसटी के तहत पंजीकृत पैन नंबर होना चाहिए । टीडीएस [स्रोत पर कर कटौती] भुगतान के समय टीडीएस दर चार्ट के नियम 194-सी के अनुरूप लागू होगा।

14. वाहन किराये पर लेने हेतु अनुमोदन प्रदान किए जाने के बाद वाहन प्रदाता को केवल करार अवधि - मार्च 2025 तक ही वाहन उपलब्ध कराने की अनुमति होगी । यदि वाहन प्रदान करना बंद कर दिया जाता है, तो वाहन प्रदाता के खिलाफ 10% की दर से दंड प्रभार वसूल किया जाएगा।

15. नियमों और शर्तों का अनुपालन नहीं करने पर अधोहस्ताक्षरी को किसी भी निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप से अस्वीकार करने का अधिकार है ।

वैज्ञानिक-डी

दि.26.04.2024

अ. महिमा शांति

अ.वि.कें, समयनल्लूर